

जय मनातन

राष्ट्रिय सर्वोपार्थी

जय भारत

विश्वजीत सिंह अनंत

राष्ट्रीय अध्यक्ष

राष्ट्रीय मनातन पार्टी

संपर्क सूच - 9412458954



केन्द्रीय कार्यालय

म. नं. 108, नूतन, खमगा नं. 60, 30 फूटा रोड, नया सभापुर

गुजरात, करवाल नगर, दिल्ली- 110090

<http://www.rashtriyasanatanparty.org>

E-mail: rashtriyasanatanparty@gmail.com

पत्रांक 123

दिनांक 22/09/2023

सेवा में,

श्रीमान नरेंद्र मोदी जी

प्रधानमंत्री, भारत सरकार

विषय : भारत के संविधान का भारत के लोगों द्वारा भारत की मान्यताओं के आधार पर पुनर्लेखन कराने हेतु।

महोदय,

विषयान्तर्गत मविनय निवेदन है कि विभिन्न सामाजिक प्रचार तंत्रों में जात हुआ है कि आपके नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा भारत का नाम सभी भाषाओं में भारत किये जाने का प्रस्ताव है, ऐसा किया जाना ब्रिटिश कॉलोन पराधीनता के कलंक को हटाया जाना सिद्ध होगा, जिसके लिए राष्ट्रीय मनातन पार्टी आपको अग्रिम रूप से साधुवाद देती है। इसके साथ ही हम आपका ध्यान भारत में लागू इंडियन संविधान की ओर दिखाना चाहते हैं। भारत की संविधान सभा का गठन ब्रिटिश वायसराय ने किया था, और उन्होंने इंडिया के लिए किया था। संविधान सभा में ब्रिटिश सरकार के कुछ बेतनभोगी पूर्व कर्मचारी थे, कुछ उनके समर्थक/सहयोगी थे, जिन्होंने इंडिया एक्ट 1935 का 70% से अधिक भाग ज्यों का त्यों नकल किया। संविधान सभा ने प्रारम्भ में ही यह स्पष्ट कर दिया था कि यह संविधान भारत के लिए है, जिसे ब्रिटिश लोग इंडिया कहते हैं। **इंडिया हैट इज भारत** का कुल इतना अर्थ है कि इंग्लैंड के शासक अंग्रेज लोग यह जान लें कि यह संविधान इंडिया का है जो वस्तुतः भारत है। इंडिया का संविधान मत/मजहब/गिनितन के आधार पर भारत के नागरिकों को अल्पसंख्यक-बहुसंख्यक में बांटता है, जोकि सम+विधान के नाम को चर्चितार्थ नहीं करता। इंडिया के संविधान में अहिंदू मत/मजहब/गिनितन को अल्पसंख्यक के नाम पर विशेष संरक्षण प्राप्त है, लेकिन भारत की आत्मा मनातन धर्म को संवैधानिक संरक्षण प्रदान नहीं किया गया है। संविधान की अदृशपूर्ण व्यवस्था के चलते हिन्दू अपना धर्म बदलने को विवश हो रहे हैं। संविधान में उल्लेखित अल्पसंख्यक की अपरिभाषित अवधारणा के चलते सभी राजनीतिक पार्टियाँ साम्प्रदायिक आधार पर मुसलमानों, बौद्धों व ईसाईयों का तृतीकरण करने में लगी हुई हैं। जोकि राष्ट्रीय एकता व अखंडता के लिए खतरनाक है।

इंडियन संविधान की आठ में आठ दिन कई विषयों पर इंडियन शासकों, प्रशासकों व न्यायाधीशों के धार्मिक आधार पर बहुसंख्यक हिन्दू समाज की भावनायें आहत करने वाले निर्णय गामने आते रहते हैं। हिन्दुओं के मौलिक अधिकारों का दमन किया जा रहा है, हिन्दुओं के धर्म को अपमानित किया जा रहा है, हिन्दुओं की धार्मिक व सांस्कृतिक परम्पराओं पर कुतराघात किया जा रहा है। यहाँ तक की देश की बेटी को श्री मत/मजहब के आधार पर बांट दिया गया है, एक जैसी समान आर्थिक स्थिति वाले परिवार में आने वाली तथा साथ-साथ पढ़ने वाली आयशा और सावित्री में से एक सावित्री को केवल इस आधार पर कि वह बहुसंख्यक समुदाय से है, बेगम हजरत महल छावबूति तथा शादी शगुन योजना का लाभ उठाने में रोक दिया जाता है।

हम भारत के नागरिक होने के नाते भारत में लागू इंडियन संविधान का सम्मान करते हैं, लेकिन साथ ही भारत सरकार से अनुरोध करते हैं कि भारत के संविधान का भारत के लोगों द्वारा भारत की मान्यताओं के आधार पर पुनर्लेखन कराया जाये। यदि भारत सरकार चाहे तो इस कार्य हेतु हम राष्ट्रहित में अपना योगदान देने को तैयार हैं, एक निश्चित समयवधि में भारत की मान्यताओं के आधार पर भारत के संविधान का पुनर्लेखन करके देने को तैयार हैं।

आशा है आप बहुसंख्यक समाज की जन भावनाओं का सम्मान करते हुये संविधान का पुनर्लेखन कराकर देश के नागरिकों को न्याय दोगे।

अनंत
VISHWAJEET SINGH ANANT
PRESIDENT
RASHTRIYA SANATAN PARTY
H.NO. 108-A, G/F, KH. No. 60,
30 Foota Road, New Sabhapur Gujran,
Karawal Nagar, Delhi-110090

प्रार्थी

विश्वजीत सिंह अनंत

राष्ट्रीय अध्यक्ष

राष्ट्रीय मनातन पार्टी